झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– नगर विकास एवं आवास विभाग (शहरी निकाय सहित) में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों द्वारा त्यागपत्र देने की स्थिति में उनके द्वारा जमा किये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण।

नगर प्रबंधकों समेत अन्य सेवाओं/संवर्गो के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा त्यागपत्र समर्पित करने की स्थिति में विभाग में जमा किये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण सरकार के विचाराधीन था।

सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिए गये हैं :–

(क) संविदा पर नियुक्त वैसे कर्मी, जो 01 (एक) वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा के उपरांत त्यागपत्र देंगे, वैसी स्थिति में मुआवजे के रूप में उनसे 02 (दो) माह के मानदेय के समतुल्य राशि वसूली जायेगी।

(ख) 01 वर्ष से कम अवधि तक विभाग (निकाय सहित) में सेवा देने के पूर्व यदि कोई कर्मी त्यागपत्र देता है, तो वैसी स्थिति में 03 (तीन) माह के मानदेय के समतुल्य राशि उस कर्मी से वसूल की जायेगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
23.9.16
(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 01/सा0स्था0–40/2016/न0वि0आ0 5362, राँची, दिनांक– 26/09/16

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, e Gazettee नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23.9.16
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 01/सा0स्था0–40/2016/न0वि0आ0 5362, राँची, दिनांक– 26/09/16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं हक), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.9.16
सरकार के प्रधान सचिव।

rk_sankalp 34

ज्ञापांक – 01/सा0स्था0–40/2016/न0वि0आ0 ....5362, राँची, दिनांक–26/09/16

प्रतिलिपिः–सभी उपायुक्त/सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/सभी नगर प्रबंधक, सभी शहरी स्थानीय निकाय/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.9.16

सरकार के प्रधान सचिव।

rk_sankalp 35